



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

20 श्रावण, 1942 (श०)

संख्या- 366 राँची, मंगलवार,

11 अगस्त, 2020 (ई०)

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

अधिसूचना

11 अगस्त, 2020

संख्या-04/कृ०यो०यो०-01/2020/कृ०, -- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा एक नयी Central Sector Scheme "Financing Facility under Agriculture Infrastructure Fund" का शुभारंभ किया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-R-11016/2/2020-I&P दिनांक-17.07.2020 एवं 23.07.2020 में निहित दिशा-निर्देशों के आलोक में योजना के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु State Level Monitoring Committee (SLMC) का गठन निम्नरूपेण किया जाता है :-

1	मुख्य सचिव, झारखण्ड	अध्यक्ष
2	सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची	सदस्य
3	निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची	सदस्य
4	मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड	सदस्य
5	क्षेत्रीय निदेशक, National Cooperative Development Corporation (NCDC)	सदस्य
6	Convenor, SLBC	सदस्य
7	इस योजना के राज्य नोडल पदाधिकारी	सदस्य सचिव

02. उक्त समिति का दायित्व निम्नरूपेण होगा :-

- (क) यह समिति National Level Monitoring Committee द्वारा approved guidelines को राज्य स्तर पर कार्यान्वित करेगी तथा उसका feedback NLMC को देगी।
- (ख) यह समिति पूरे राज्य में योजना को लागू करने में guide करेगी।
- (ग) यह समिति DLMC के consultation से लाभुकों/परियोजनाओं के सूची की समीक्षा करेगी एवं योजना में सम्मिलित किये जाने हेतु अनुमोदित करेगी।
- (घ) यह समिति भारत सरकार द्वारा निर्धारित Output and Outcome Monitoring Framework (OOMF) प्रपत्र के अनुरूप लक्ष्य निर्धारित करेगी एवं योजना के प्रगति की नियमित समीक्षा करेगी।

03. जिला स्तर पर योजना के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु District Level Monitoring Committee (DLMC) का गठन निम्नरूपेण किया जाता है:-

1	उपायुक्त	अध्यक्ष
2	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पर्वद	उपाध्यक्ष
3	जिला कृषि पदाधिकारी	सदस्य
4	जिला सहकारिता पदाधिकारी	सदस्य
5	राज्य द्वारा मनोनीत पदाधिकारी (अधिकतम तीन)	
i.	जिला उद्यान पदाधिकारी	सदस्य
ii.	सचिव, जिला बाजार समिति	सदस्य
iii.	जिला मत्स्य पदाधिकारी	सदस्य
6	जिला अग्रणी पदाधिकारी (LDM), DLBC	सदस्य
7	जिला प्रबन्धक (DM), NABARD	सदस्य सचिव

04. उक्त समिति का दायित्व निम्नरूपेण होगा :-
- (क) यह समिति योजना को निर्धारित framework के अनुसार लागू एवं अनुश्रवण करने हेतु जिम्मेवार होगी।
 - (ख) यह समिति PMU के सहयोग से लाभार्थियों का चयन करेगी एवं उनके सहयोग हेतु परियोजनाओं की व्यवहार्यता के अनुरूप परियोजना प्रस्ताव तैयार करेगी।
 - (ग) समिति के द्वारा परियोजना प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए SLMC को अनुशंसा करेगी।
 - (घ) भारत सरकार द्वारा निर्धारित OOMF प्रपत्र के अनुरूप समिति के द्वारा SLMC के परामर्श के अनुरूप लक्ष्य निर्धारित करेगी एवं PMU के सहयोग से योजना के प्रगति की समीक्षा करेगी।
 - (ङ.) समिति के द्वारा PMU के सहयोग से इस योजना का Dashboard संधारित करेगी।
 - (च) योजना के सुचारू कार्यान्वयन की जिम्मेवारी उक्त समिति की होगी। उक्त समिति योजना कार्यान्वयन में जिला स्तर पर आनेवाले मुद्दों का, जिला प्रशासन के आवश्यकतानुसार सहयोग से, समाधान करेगी।
05. उक्त प्रस्तावों पर मुख्य सचिव, झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अबुबक्कर सिद्दीख पी.,
सरकार के सचिव।
